**(वाद संख्या–4442/17)**

19.01.2021

परिवादी, नजीबुत तौहिद, अपने विद्वान अधिवक्ता श्री सब्बीर मोहम्मद के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के सत्तरह वर्षीय पुत्र, आतिफ तौहिद, को **बिना किसी आधार व कारण** के पटना जिलान्तर्गत फुलवारी शरीफ थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर गंभीर रूप से मारपीट करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के माध्यम से नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना के प्रतिवेदनानुसार ''अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि जांच के दौरान कांड अभिलेख एवं थाना दैनिकी के अवलोकन से परिवादी मो0 नजीबुत तौहिद के पुत्र, आतिफ तौहीद, को थाना में लाये जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाया गया, साथ ही परिवादी द्वारा भी अपने पुत्र के ईलाज/जख्म से संबंधित कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु जांच के दौरान परिवादी, मो0 नजीबुत तौहिद, एवं उनके पुत्र आतिफ तौहिद, द्वारा दिये गये बयान तथा परिवादी के बड़े पुत्र आदिल के मोबाईल नम्बर 8002815800 एवं परिवादी के मोबाईल नम्बर 9431843919 का घटना के दिन दिनांक–18/19.05.17 का सी0डी0आर0 प्राप्त कर अवलोकन करने पर परिवादी एवं उनके पुत्र आतिफ तौहिद द्वारा दिए गए बयान कि उन्हें थाना के पदाधिकारियों द्वारा ले जाया गया तथा पुनः अगले दिन परिवादी के मोबाईल पर फोन करके आतिफ तौहिद को वापस ले जाने को कहा गया, की पुष्टि कहीं न कहीं होती है।

पु0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ को कांड के अनुसंधान में परिवादी के पुत्र आतिफ को पूछताछ हेतु थाना लाये जाने की प्रविष्टि थाना दैनिकी में अंकित किया जाना चाहिए था, जो पु0नि0 धर्मेन्द्र कुमार द्वारा नहीं किया गया। पु0नि0 धर्मेन्द्र कुमार के इस कृत के लिए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा अलग से कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।''

वरीय पुलिस अधीक्षक, के उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी मो0 नजीबुत तौहिद से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी की ओर से समर्पित प्रत्युत्तर पर पुलिस उप–महानिरिक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रत्युत्तर के साथ अनुलग्नित नगर पुलिस

अधीक्षक, पश्चिमी, पटना के प्रतिवेदनानुसार परिवादी द्वारा ''लगाये गये आरोप से संबंधित पु0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के विरूद्ध पटना जिला विभागीय कार्यवाही संख्यज्ञ–449/19 प्रारंभ की गयी है। उक्त विभागीय कार्यवाही वर्त्तमान में श्री डी0 अमरकेश (भा0प्र0से0) पुलिस अधीक्षक, यातायात पटना के पास संचालन अन्तर्गत है, जहां तक पीड़ित को मुआवजा का प्रश्न हे इस बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात् ही मंतव्य दिया जाना उचित प्रतीत होता है।''

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से पुनः प्रत्युत्तर की मांग की गयी। अपने पत्युत्तर में परिवादी का कथन है कि नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि परिवादी के सतरह वर्षीय अव्यस्क पुत्र, आतिफ तौहिद, को बिना किसी आधार के फुलवारीशरीफ थाना में बुलाया गया तथा फुलवारीशरीफ थाना द्वारा उपरोक्त (पीड़ित) को बुलाये जाने का अपने स्टेशन डायरी में उल्लेख तक नहीं किया गया जो कि नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। **नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना के प्रतिवेदन से यह प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि किन परिस्थितियों में परिवादी के पुत्र को थाना बुलाया गया था।**

उपरोक्त परिस्थिति में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से दिनांक–28.05.2021 के पूर्व फुलवारीशरीफ थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, पु0नि0 धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध संचालित जिला विभागीय कार्यवाही संख्या–449/19 के फलाफल व **उन परिस्थितयों (कारणों/आधार) के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से राज्य आयोग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाय जिसके आधार पर परिवादी के अवयस्क पुत्र को फुलवारीशरीफ थाना पुछताछ हेतु बुलाया गया था**। भेजे जाने वाले पत्र के साथ आज पारित आदेश की प्रति भी संलग्न किया जाय तथा उक्त पत्र की एक प्रति श्री डी0 अमरकेश (भा0प्र0से0) पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को भी आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाय।

आज परिवादी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है इसलिए उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–04.06.2021 को उपस्थापित किया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

<u>निबंधक</u>